



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 20, 1971/फाल्गुन 29, 1892  
 No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 20, 1971/PHALGUNA 29, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किए गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के प्रादेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF LAW

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 22nd February 1971

G.S.R. 348.—In exercise of the powers conferred by rules 2 and 8 and clause (a) of rule 8 B of order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Law No. G.S.R. 763 dated the 10th May, 1967, the Central Government hereby appoints the persons named below as Government Pleaders on the Original side and the Appellate side of the High Court at Delhi for the purpose of the said Order in relation to any suit by or against the Central Government, with effect from 1st March, 1971 and until further orders.

1. Shri S. S. Chadha,
2. Shri R. L. Tandon.

(877)

8

9

10

11

12

13

के ऐसे ही अधिकारी  
जो अध्यापक तथा  
अथवा शैक्षिक प्रशासन  
में किसी जिम्मेदार  
पद पर 15 वर्षों का  
अनुभव रखते हों।  
(प्रतिनियुक्ति/ठेके की  
अवधि साधारणतया  
4 वर्षों से अधिक नहीं  
होगी)।

[संख्या ए०/12011/11/70-ई०1]

के० एस० अहलुवालिया,  
प्रवर सचिव, भारत सरकार।

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 18th February 1971

G.S.R. 369.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 809 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, namely:—

(1). These rules may be called the All India Radio (Class I Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio, (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, after Serial No. 16 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8
"17. Director of Programmes (Public Relations).	1	General Central Service Class I Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 700-40-1100-50/2-1250.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

9	10	11	12	13	14
Not applicable.	Not applicable.	By transfer on deputation.	<i>Transfer on deputation</i> Station Directors (Ordinary Grade) of All India Radio with 2 years service in the grade and officers of Grade I of Central Information Service (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations 1958 <sup>a</sup> .

[No. 1/2/70-B(A)]

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1971

जी० एस० आर० 396—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिका-  
कारों, का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा आकाशवाणी (प्रथम श्रेणी पद) भर्ती नियमा-  
वली, 1963 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों को आकाशवाणी (प्रथम श्रेणी पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली,  
1971 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (प्रथम श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1963 के परिशिष्ट में क्रम संख्या  
16 और सद्विषयक प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7	8
“17. कार्य- क्रम निदेशक (जन- सम्पर्क)।	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा प्रथम श्रेणी राजपत्रित अलिपिक वर्गीय	700-40- 1100-50/ 2-1250 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11	12	12	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्वा- नान्तरण] द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्वा- नान्तरण:— आकाशवाणी के वे केन्द्र निदेशक (सामान्य ग्रेड) जिनकी इस ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा हो तथा केन्द्रीय सूचना सेवा के प्रथम ग्रेड के अधिकारी (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य- तया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	लागू नहीं होता]	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (विचार विमर्श छूट) विनि- यम 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

[संख्या फा० 1/2/70-बी(ए)]

ए० वी० नारायणन्, अवर सचिव ।